



छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र

सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
पेंशन बाड़ा, रायपुर

1. नाम
2. अनुक्रमांक
3. परीक्षा का नाम
4. परीक्षा वर्ष
5. केन्द्र का नाम जिला
6. केन्द्र क्रमांक

य: अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र ।
दय,

में निम्नलिखित विषयों में प्राप्तांकों का सत्यापन कराना चाहता/चाहती हूँ :-
विषय / प्रश्न पत्र

1.
2.
3.

4.
5.

इस हेतु प्रति विषय/प्रश्न पत्र रूपये 100/- की दर से कुल

राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक

क बैंक का नाम

संलग्न है ।

Sl. No.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक

जिन विषयों के अंकों का सत्यापन कराना चाहते हो, केवल उसी विषय के प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किये जावें एवं घोषित परीक्षाफल अंकसूची की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे अन्यथा सत्यापन संबंधी कार्यवाही नहीं की जावेगी। बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम से ही बनवाया जाय।

परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जावेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

अपूर्ण शुल्क/बिना शुल्क/अधूरी जानकारी वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

पोस्ट ऑफिस

जिला

(छ.ग.), पिन कोड

त: (1) अंकसूची की छायाप्रति (2) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक

दिनांक

राशि

आवेदक के हस्ताक्षर

प निर्देश :- (1) अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय अवसर की परीक्षा में बैठने हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र में अनिवार्य रूप से जमा करावें। पुनर्गणना के परिणाम का इन्तजार न करें। द्वितीय अवसर की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
(2) इस प्रपत्र की छाया प्रति (फोटोकॉपी) उपयोग की जा सकती है।